HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को 04 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व 5,000/–रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 23-09-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- वर्ष-2010 में अभियुक्त रोबिन पुत्र नैपाल निवासी ग्राम शाब्दीपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड आपराधिक किया–कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 212/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29-09-2010 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 23-09-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 04 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व 5,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अनिल कुमार कपरवान एवं पैरोकार म0का0 कुसुम व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यंत राठी का विशेष योगदान रहा।